रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72 REGISTERED NO. D. (D.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 63] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 20, 1981/फाल्गुन 1, 1902
No. 63] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 20, 1981/PHALGUNA 1, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 1981

सीमा-शुल्क

सा. का. नि. 74 (अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है,

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 161-सीमा-शुल्क, तारीख 20 जुलाई, 1979 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में,—

(1) आरम्भिक पैरा में, "जब वे उन्हें भारत में लाए" शब्द के स्थान पर "जब उनका भारत में आयात किया जाए" शब्द रखे जाएंगे ;

(2) विद्यमान परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु यह तब जब कि सीमा-शुल्क कलक्टर का यह समाधान हो जाता है ऐसे पदक और ट्राफियां साधारण उपयोग की वस्तुएं नहीं हैं ।"

[सं. 18/फा सं 355/17/80-सी. शु.]
के चन्द्रमौलि, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th February, 1981

CUSTOMS

G.S.R. 74(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance, Department of Revenue, No. 161-Customs, dated the 20th July, 1979, namely :—

In the said notification —

(i) In the opening paragraph, for the words "and brought by them into India" the words "when imported into India" shall be substituted ;

(ii) for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely :—

Provided that the Collector of Customs is satisfied that such medals and trophies do not constitute an article of general utility."

[No. 18/F. No. 355/17/80-Cus. I]
K. CHANDRAMOULI, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1981